न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रदीप के. गावंडे
अपील संख्या : 09/2020

श्री केशवलाल पुत्र श्री दीनदयाल ब्राह्मण साकिन जेतपुर, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री धनेश खत्री — वकील अपीलान्ट
2. पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :— 26—07—2023

यह अपील अपीलान्ट श्री केशवलाल पुत्र श्री दीनदयाल ब्राह्मण साकिन जेतपुर, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19—08—1983 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने भूमि आवंटन हेतु दरख्वास्त लगाई थी जिसमें उसने तमाम सबूत भी दिये थे एवं तहसील से उसका फोटोफॉर्म तस्दीक होकर रकबा आवंटन करने हेतु कार्रवाई करने बाबत भी आदेश आ गया था। प्रार्थी के सबूतों की जांच की गई तो तमाम सबूत सही पाये गये और प्रार्थी से यह कहा गया कि रकबा आवंटन के बाद आपके घर नोटिस व इत्तिला भेज दी जायेगी। इस प्रकार कुछ समय पश्चात प्रार्थी का फोटोफार्म व अन्य सबूतों की जांच तहसील हाजा, बीकानेर से करवाई गई तथा मौका हाजा पटवारी द्वारा भी जांच की गई एवं फोटोफार्म व अन्य आवश्यक सबूत जांच करके एवं तहसील हाजा द्वारा तस्दीक करके एसीसी, छतरगढ मु0 बीकानेर भिजवाये गये। मौके पर तहसील हाजा व पटवारी द्वारा प्रार्थी से कहा गया कि आपको जब भी रकबा आवंटन करेंगें तो नोटिस या सूचना द्वारा आपके घर इत्तिला कर दी जायेगी। प्रार्थी लम्बे अर्से से रकबा आवंटन की सूचना का इन्तजार करता रहा मगर काफी समय बीत जाने के बाद प्रार्थी या उसके परिवार को कोई सूचना नहीं मिली। कुछ समय पश्चात प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके गांव के अन्य लोगों को रकबा, तहसील कोलायत हाजा में आवंटन हो गया है। यह सूचना सुनके प्रार्थी एसीसी, कार्यालय, बीकानेर में अपनी दर्खास्त कर पता करने के लिये आया तो प्रार्थी को कहा गया कि आपकी दर्खास्त खारिज कर विभागीय वीडिंग कमेटी द्वारा वीडिंग कर दी गयी है।

अदालत ने अपीलान्ट को बिना नोटिस व सूचना का मौका दिये एक तरफा तौर पर तथा उसके पीठ पीछे पारित किया गया है तथा ना ही नोटिस पर तामील करवाई गई है। ऐसा एकतरफा आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध साक्ष्य अधिनियम के तहत पढा नहीं जा सकता। इस कारण आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने कहा कि अपीलान्ट ने भूमि आवंटन हेतु दरख्वास्त लगाई थी जिसमें उसने तमाम सबूत भी दिये थे एवं तहसील से उसका फोटोफॉर्म तस्दीक होकर रकबा आवंटन करने हेतु कार्रवाई करने बाबत भी आदेश आ गया था। प्रार्थी के सबूतों की जांच की गई तो तमाम सबूत सही पाये गये और प्रार्थी से यह कहा गया कि रकबा आवंटन के बाद आपके घर नोटिस व इत्तिला भेज दी जायेगी। इस प्रकार कुछ समय पश्चात प्रार्थी का फोटोफार्म व अन्य सबूतों की जांच तहसील हाजा, बीकानेर से करवाई गई थी। अपीलान्ट को बिना नोटिस व सूचना का मौका दिये एक तरफा तौर पर तथा उसके पीठ पीछे पारित किया गया है तथा ना ही नोटिस पर तामील करवाई गई है। ऐसा एकतरफा आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध साक्ष्य अधिनियम के तहत पढा नहीं जा सकता। इस कारण आदेश निरस्त फरमावे।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि अपीलान्ट की मूल पत्रावली संख्या आर–18 निर्णय दिनांक 28–01–1985 की पत्रावली उपनिवेशन अभिलेखागार बीकानेर में आवंटन अधिकारी द्वारा जमा करवाई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा उपनिवेशन अभिलेखागार में पत्रावलियां जमा करवाने से पहले आवंटन संबंधित सम्पूर्ण कार्रवाई कर जमा करवाई जाती है। आवंटन अधिकारी द्वारा पत्रावली को खारिज करने से पूर्व पूरी प्रक्रिया अपनाते है यथा नोटिस या पत्रावलियों की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा करते है। विभागीय विडींग कमेटी के द्वारा पैड संख्या 57 क्रम संख्या 8 के अनुसार निरसन (वीडिंग) कर दी गयी है। मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्ट द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्ट वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्ट द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्ट वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये है।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26–07–2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर